राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
अंकेक्षण अनुभाग

विषयः— निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024—25 में समाविष्ट अनुच्छेदों के उत्तर भिजवाने एवं अनियमितताओं के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में।

निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024—25 राजस्थान विधान सभा में दिनांक 19.02.2026 को उपस्थापित किया जा चुका है। उक्त प्रतिवदेन स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की वेबसाइट http://lfad.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

जैसा कि आपको विदित है निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024—25 में समाविष्ट अनुच्छेदों के उत्तर निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग से संवीक्षोपरान्त राजस्थान विधान सभा (स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति) में उपस्थापित किये जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के अन्दर आवश्यक रूप से भिजवाये जाने है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रतिवेदन में समाविष्ट आपके विभाग/नियन्त्रणाधीन संस्थाओं/निकायों से संबंधित समस्त अनुच्छेदों के उत्तर निर्धारित समयावधि तीन माह (दिनांक 18—05—2026 तक) में निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग से संवीक्षोपरान्त 30 प्रतियों में राजस्थान विधान सभा (स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति), चार प्रतियां निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर तथा एक प्रति वित्त (अंकेक्षण) विभाग को आवश्यक रूप से भिजवाये जाने की व्यवस्था करने का कष्ट करावें। यह भी निवेदन है कि उक्त प्रतिवेदन में दर्शाई गई अनियमितताओं को मद्देनजर रखते हुए भविष्य के लिए व्यवस्था सुधार एवं अनियमितताओं की पुनरावृति रोकने की दृष्टि से समुचित शासकीय निर्देश जारी किये जाकर उनकी पालना सुनिश्चित कराने की कार्रवाई भी करावें।

(वैभव गालरिया)
प्रमुख शासन सचिव, वित्त

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

अ.शा.टीप.क्रमांक प.19(1) वित्त/अंकेक्षण/2025 जयपुर, दिनांकः— 27/02/2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
4. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा—I)/महालेखाकार (लेखा परीक्षा—II) राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (पेंशन/बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग,जयपुर ।
7. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), वित्त (कम्प्यूटर सैल) को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(भवानी सिंह मीणा)
संयुक्त शासन सचिव